(i) From amongst the eligible land losers, whose land is acquired by the company for mining & other activities. The employment to land losers is given as per the guidelines formulated by the Govt, of Orissa and in conjunction with Rehabilitation and Resettlement (R&R) policy of Coal India Limited.

(ii) From amongst the dependent of those workers who die while in service or are permanently disabled, as per National Coal Wage Agreement.

(iii) Transfer from other areas of Mahanadi Coalfields Ltd. where there is surplus manpower.

(iv) In case the requirement is not met by the aforementioned modes, outside recruitment is done through the local employment exchange.

The recruitment/development of highly skilled technical manpower as well as executives is done by Coal India Limited as per laid down procedure.

**विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति**

2641. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति में भारी कमी के कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है और विद्युत आपूर्ति में बाधा आई है,

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार केन्द्रों को कोयला आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त और समय पर कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध एजेसिंयों के बीच प्रभावी समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) :** (क) यह सच नहीं है कि विद्युत उत्पादन कोयले की आपूर्ति में आई कमी के कारण प्रभावित हुआ है । दूसरी और बेहतर आपूर्ति स्थिति के साथ-साथ विद्युत गृहों में बढ़ते हुए स्टाक के कारण उत्पादन निष्पादन में सुधार हुआ है । 1.11.98 की स्थिति के s अनुसार देश में सभी विद्युत गृहों में कोयले का स्टाक 16.87 मि. टन के स्तर तक है जोकि 29 दिनों की खपत के बराबर है । वस्तुतः कई राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा स्वीकृति संयोजनों में कटौती करने का अनुरोध किया गया है ।

(ख) अप्रैल से नवंबर 1998 की अवधि के दौरान को.ई.लिं और सि.को.कं.लि. से विद्युत क्षेत्र को किए जा रहे कोयले के प्रेषण का राज्य वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

(000 टन में)

| आंकड़े अनंतिम | |
|---|---|
| दिल्ली | 2,910 |
| हरियाणा | 2,530 |
| पंजाब | 4,261 |
| राजस्थान | 2,050 |
| उत्तर प्रदेश | 22,009 |
| गुजरात | 9,591 |
| मध्य प्रदेश | 20,516 |
| महाराष्ट्र | 18,952 |
| तमिलनाडु | 6,834 |
| आंध्र प्रदेश | 18,530 |
| कर्नाटक | 2,801 |
| बिहार | 6,080 |
| उड़ीसा | 5,228 |
| पं. बंगाल | 10,102 |
| असम | 43 |
| जोड़ | 1,32,427 |

(ग) विद्युत क्षेत्र को जो जाने वाली कोयले की आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता दी जाती है । विद्युत क्षेत्र को किए जाने वाले कोयले की आपूर्ति का नियमित प्रबोधन अंतरमंत्रालय समूह द्वारा किया जाता है । जहां कहीं भी आवश्यक हो कोयले की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है । इसके साथ-साथ संबद्व मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ सचिव (समन्वय) के स्तर पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ।